IN THE COURT OF JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS DABHRA, DISTRICT- JANJGIR CHAMPA (C.G.) Presiding Officer : Ravi Kumar Mahobia Judge	
[Date of Judgement : **20.01.2023**] [Case No.: **555/2022**] (Crime Number : **46/2022**, Police Station : **Excise Circle Dabhra,** District - Janjgir Champa, CG)	
Complainant	State of Chhattisgarh
Represented By	Shri Shyam Kumar Gupta (A.D.P.O.)
Accused	Jhaduram Kurre S/o.Shri Sukul Satnami, aged about 58years, R/o.-Village Churtela, Ward No.12, Police Station - Dabhra, District - Janjgir Champa (at present District - Sakti), Chhattisgarh
Represented By	Shri L N Dewangan Advocate

FORM - E

Date of offence	23.06.2022
Date of FIR	x
Date of Charge sheet	10.10.2022
Date of framing of charges	10.10.2022
Date of commencement of Evidence	10.11.2022
Date on which judgement is reserved	20.01.2023
Date of the judgement	20.01.2023
Date of the Sentencing Order, if any	x

Accused Details:

Rank of the accused	Name of the accused	Date of arrest	Date of release on bail	Offence charged with	Whether acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of section 428 Cr.P.C.
1	Jhaduram Kurre	23.06.2022	23.06.2022	34(1)(a) CG Excise Act, 1915	Acquitted	x	x

FORM - F

Index

S.No.	Description	Page No.
1	Heading of Judgment	1
2	Appearance of Advocates	2
3	Charge	2-3
4	Admitted Facts	x
5	Prosecution Story	3
6	------------	x
7	------------	x
8	Reasons and findings	5 - 10
9	Sentence	x
10	Period of Detention & Set-Off	x
11	Disposal of Property	11
12	Order of Compensation	x
13	Certificate under section 428 CrPC	12
14	Warrant of Commitment on a sentence (Imprisonment or Fine)	x
15	Copy of Judgment	1 to 12

राज्य द्वारा श्री श्याम कुमार गुप्ता ए.डी.पी.ओ.।

अभियुक्त द्वारा श्री एल एन देवाँगन अधिवक्ता।

–:: निर्णय ::–

(आज दिनाँक 20.01.2023 को घोषित)

---

1. अभियुक्त के विरूद्ध छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत यह अभियोग है कि उसने दिनाँक 23.06.2022 को समय 4.30 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र डभरा, जिला–

जाँजगीर चाँपा (वर्तमान जिला–सक्ती), छत्तीसगढ़ क्षेत्रान्तर्गत स्थान ग्राम चुरतेला स्थित अपने रिहायशी मकान में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के उपबंध, उसके अधीन बनाये गये नियम जारी की गई अधिसूचना या किये गये किसी आदेश या अधिनियम के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के अनुपालन या पास की शर्त के उल्लंघन में दो लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब अवैद्य रुप से रखा।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य कुछ नही है।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप मे इस प्रकार है कि दिनाँक 23.06.2022 को 4.30 बजे गस्त के दौरान सूचनानुसार समयाभाव के कारण बगैर तलासी वारंट लिए गवाहों के समक्ष अभियुक्त के मकान में तलाशी लेने पर जप्ती पत्रक के अनुसार दो लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब बरामद किया गया तथा अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) का अपराध सबूत पाये जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर अपराध जमानतीय होने से उसे स्वयँ के बन्धपत्र में रिहा किया गया तथा शेष कार्यवाही उपरान्त परिवाद माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त के विरूद्ध छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत प्रथम दृष्टया अपराध बनने से उक्त धारा के तहत् अपराध विवरण की रचना कर पढ़कर सुनाए जाने पर अभियुक्त ने जुर्म अस्वीकार कर प्रतिरक्षा किए जाने की माँग की।

5. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त का परीक्षण किये जाने पर उसने स्वयँ को निर्दोष होना और बचाव साक्ष्य नही देना व्यक्त किया।

6. प्रकरण में निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न है:-

क्या अभियुक्त ने दिनाँक 23.06.2022 को समय 4.30 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र डभरा, जिला-जाँजगीर चाँपा (वर्तमान जिला-सक्ती), छत्तीसगढ़ क्षेत्रान्तर्गत स्थान ग्राम चुरतेला स्थित अपने रिहायशी मकान में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के उपबंध, उसके अधीन बनाये गये नियम जारी की गई अधिसूचना या किये गये किसी आदेश या अधिनियम के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के अनुपालन या पास की शर्त के उल्लंघन में दो लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब अवैद्य रुप से रखा?

-:: साक्ष्य की विवेचना एवँ सकारण निष्कर्ष ::-

उक्त विचारणीय प्रश्न की विवेचना एवँ सकारण निष्कर्षः—

7. हस्तगत प्रकरण में आबकारी उपनिरीक्षक सी एल पटेल (अ.सा.क्र.1) के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में बताया गया है कि माह अप्रैल 2021 से वह आबकारी वृत्त डभरा में आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्त है तथा उक्त पदस्थापना के दौरान दिनाँक 23.06.2022 को गस्त के दौरान मुखबीर से प्राप्त सूचना पर समयाभाव के कारण माल अफरा—तफरी की आशंका के बिना तलाशी वारंट लिये ग्राम चुरतेला में गवाह फलेश्वर साहू एवँ नरेन्द्र मनहर के समक्ष संदेही झाडुराम कुर्रे की सहमति पर गवाहों को अपनी एवँ पूरे स्टाफ की जामा तलाशी देकर दोनो गवाहों के समक्ष अभियुक्त के घर की तलाशी ली गई। तलाशी में अभियुक्त के आधिपत्य से दो लीटर तरल द्रव बरामद हुआ, जिसका जाँच समक्ष पंचान की गई। जाँच परिणाम एवँ अनुभव में आधार पर बरामद शुदा सामग्री को हाथ भट्ठी महुआ शराब होना पाया गया, तथा मौके पर जाँच पंचनामा बनाया गया।

8. उक्त साक्षी सी एल पटेल (अ.सा.क्र.1) का कथन है कि मुखबीर पंचनामा एवँ सर्च वारंट न ले पाने का पंचनामा (प्र.पी.1), धारा 160

द.प्र.सं. का नोटिस (प्र.पी.2), जामा तलाशी पंचनामा (प्र.पी.3), तलाशी पंचनामा (प्र.पी.4), जाँच पंचनामा (प्र.पी.5), जप्ती पत्रक (प्र.पी.6), गिरफ्तारी पत्रक (प्र.पी.7), नजरी नक्शा (प्र.पी.8) एवँ मकान आधिपत्य पंचनामा (प्र.पी.9) पर उसके हस्ताक्षर है।

9. प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी के द्वारा बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया गया है कि वह जिस वाहन से घटना स्थल पर गया था उस वाहन की तलाशी अभियुक्त से नही कराई थी और जप्तशुदा तरल द्रव को उच्च अधिकारी को जाँच हेतु नही भेजा था। साक्षी ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि मौके का नक्शा खसरा संबंधित पटवारी से नही लिया है और न ही घटना स्थल के भू–स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज प्रकरण में संलग्न है।

10. परीक्षित साक्षी फलेश्वर (अ.सा.क्र.2) एवँ नरेन्द्र कुमार (अ.सा.क्र.3) के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में बताया है कि साक्ष्य दिनाँक 24.12.2022 से लगभग 6 माह पूर्व ग्राम चुरतेला में पुलिस वाले आये थे, तब पुलिस वाले उससे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। पुलिस वाले के द्वारा उसके समक्ष कोई कार्यवाही या शराब की जप्ती नही की गई थी।

11. उक्त अभियोजन की ओर से उक्त साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण स्वरुप सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षीयो ने अभियुक्त से अपने समक्ष दिनाँक 23.06.2022 को ग्राम चुरतेला में स्थित अभियुक्त के रिहायशी मकान से दो लीटर हाथ भट्ठी शराब की जप्ती से इन्कार किया है।

12. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जप्ती साक्षी फलेश्वर (अ.सा.क्र.2) एवँ नरेन्द्र कुमार (अ.सा.क्र.3) के द्वारा मामले का समर्थन नही किया गया है। प्रकरण एक मात्र अन्वेषण अधिकारी सी एल पटेल (अ.सा.क्र.1) के कथन पर आधारित है। आबकारी उपनिरीक्षक के द्वारा स्वयँ के घटना स्थल पर उपस्थिति प्रमाणित नहीं की गई है। जिस स्थान से शराब को जप्त होना बताया गया है उसके एकल आधिपत्य को प्रमाणित नहीं किया गया है। जप्तशुदा शराब को विधिवत सुरक्षा हेतु प्रेषित नहीं किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित नही हो सका है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ प्रदान करते हुये दोषमुक्त किया जावें।

13. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्त के तर्क के परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

14. उल्लेखनीय है कि जब मामला एक मात्र अनुसंधान अधिकारी के कथन पर आधारित हो तो ऐसा मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया जाना आवश्यक है।

15. वर्तमान प्रकरण में आबकारी उपनिरीक्षक सी एल पटेल (अ.सा.क्र.1) ने दिनाँक 23.06.2022 को अभियुक्त के घर से गवाह फलेश्वर (अ.सा.क्र.2) एवँ नरेन्द्र कुमार (अ.सा.क्र.3) के समक्ष दो लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब बरामद होना बताया है। परन्तु उक्त साक्षी फलेश्वर (अ.सा.क्र.2) एवँ नरेन्द्र कुमार (अ.सा.क्र.3) के द्वारा आबकारी उपनिरीक्षक के किसी भी कार्यवाही का समर्थन नही किया गया है तथा उक्त साक्षी के द्वारा अपने समक्ष अभियुक्त से शराब की जप्ती से इन्कार किया है। उक्त साक्षी के द्वारा स्पष्ट कथन किया गया है कि पुलिस वालों ने उन्हे शराब नही दिखाया था। ऐसी दशा में प्रकरण में जप्ती कार्यवाही संदेहास्पद दर्शित हो रही है।

16. आबकारी उपनिरीक्षक सी एल पटेल (अ.सा.क्र.1) ने अभियुक्त के घर से शराब जप्त करना बताया है किन्तु प्रकरण में ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है जिससे दर्शित होता हो कि घटना स्थल या वह

घर जिससे शराब जप्त किया गया है वह अभियुक्त के एक मात्र स्वत्व या आधिपत्य का था।

17. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब किसी स्थान से किसी वस्तु की जप्ती की जाती है तो उस स्थान के एकल स्वामित्व या एकल आधिपत्य को प्रमाणित किया जाना आवश्यक होता है। वर्तमान प्रकरण में जिस घर से शराब जप्त किया जाना बताया गया है उस पर अभियुक्त का एकल आधिपत्य होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो अभियोजन के विरूद्ध उपधारणा को जन्म देती है तथा इस बात पर संदेह उत्पन्न होता है कि जिस मकान से शराब जप्त हुआ उस पर एकल आधिपत्य अभियुक्त का था।

18. उल्लेखनीय है कि आबकारी उपनिरीक्षक सी एल पटेल (अ.सा.क्र.1) के द्वारा इस प्रकरण में जप्तीकर्ता अधिकारी एवँ अनुसंधान अधिकारी के रूप में सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है। जब एक ही अनुसंधान अधिकारी द्वारा संपूर्ण कार्यवाही की जायें और ऐसी कार्यवाही स्वतंत्र साक्ष्य से समर्थित न हो तो एक मात्र अनुसंधानकर्ता अधिकारी के कथन से दोषसिद्धि संभंव नही है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील

1880/2011 मोहन लाल विरूद्ध पंजाब राज्य में निर्णय दिनाँक 16.08.2018 अवलोकनीय है।

19. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षीफलेश्वर (अ.सा.क्र.2) एवँ नरेन्द्र कुमार (अ.सा.क्र.3) के समर्थन के अभाव में जप्तीकर्ता अधिकारी सी एल पटेल (अ.सा.क्र.1) का कथन पूर्णतः अकाट्य, विश्वसनीय एवँ संदेहरहित प्रमाणित नही होने के कारण यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नही हो सका है कि अभियुक्त ने दिनाँक 23.06.2022 को समय 4.30 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र डभरा, जिला–जाँजगीर चाँपा (वर्तमान जिला–सक्ती), छत्तीसगढ़ क्षेत्रान्तर्गत स्थान ग्राम चुरतेला स्थित अपने रिहायशी मकान में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के उपबंध, उसके अधीन बनाये गये नियम जारी की गई अधिसूचना या किये गये किसी आदेश या अधिनियम के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के अनुपालन या पास की शर्त के उल्लंघन में दो लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब अवैद्य रुप से रखा। अतः अभियुक्त को धारा 34(1)(क) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के आरोप से संदेह का लाभ प्रदान करते हुये **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

20. अभियुक्त द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है तथा धारा 437(अ) द.प्र.सं. के अनुपालन में प्रस्तुत मुचलका निर्णय दिनाँक से 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगा एवँ 6 माह पश्चात् स्वमेव भारमुक्त समझा जावेंगा।

21. प्रकरण मे जप्तशुदा दो लीटर हाथ भट्ठी महुआ शराब विधिक दृष्टि से मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में विधिवत नष्ट किया जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के द्वारा जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण किया जावें।

22. अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत अवधि बाबत् धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रमाण–पत्र तैयार किया गया जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय दिनाँकित एवँ हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

RAVI KUMAR MAHOBIA

Digitally signed by RAVI KUMAR MAHOBIA

(रवि कुमार महोबिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डभरा
जिला–जाँजगीर चाँपा (छ.ग.)

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

RAVI KUMAR MAHOBIA

Digitally signed by RAVI KUMAR MAHOBIA

(रवि कुमार महोबिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डभरा
जिला–जाँजगीर चाँपा (छ.ग.)

अभियुक्त द्वारा कारावास में बिताई गई अवधि का प्रमाण पत्र

(अंतर्गत धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1.	**अभियुक्त का नाम**	–	झाडुराम कुर्रे
2.	**गिरफ्तारी दिनाँक**	–	23.06.2022
3.	**जमानत दिनाँक**	–	23.06.2022
4.	**पुलिस अभिरक्षा**	–	निरंक
5.	**न्यायिक अभिरक्षा अवधि**	–	निरंक
6.	**धारा 428 द.प्र.सं. के अंतर्गत दी गई छूट की पात्रता**	–	निरंक

स्थान: डभरा

दिनाँक: 20.01.2023

RAVI KUMAR MAHOBIA

Digitally signed by RAVI KUMAR MAHOBIA

(रवि कुमार महोबिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डभरा
जिला–जाँजगीर चाँपा (छ.ग.)